पत्रावलि दिनांक 27/11/16 को प्रस्तुत हो।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

27/11/16 वकील फरियादी उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण को पुनः तलबाना भेजा होने पर तलबी जारी हो। पत्रावलि दिनांक 28/2/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

28/2/17 पत्रावलि पेश हुई। न तो वादीगण उपस्थित आये और न ही उनके वकील उपस्थित आये। बार बार आवाज लगवाई गई कई बार आवाज लगवाई गई मगर कोई भी उपस्थित नहीं आये। अतः मात्र वादी अपने दावे अपने खर्चे में खारिज किया जाता है। पत्रावलि पंजीयन शुमार होकर नस्ती के करते। खारिज रखा हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली